

काय (स्पष्ट) कर दिया है अतः पुनः आवेदन न्यायालय
दिनांक 27/07/22

27/7/22 वादी एवं वकील वादी उपो नहीं। धार
धार आवान दिलायी गयी। किन्तु कोर्ट
उपो नहीं आया। ऐसी स्थिति में दावा
वादी अदम क्षणी एवं अदम पैरवी में
सवाहण किया जाता है। पत्रावली कोष
दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)